(53)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1844–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–03–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 6/अपील/2014–15.

.....

श्रीमती मायावती पत्नी श्री सरनामसिंह
निवासी ग्राम बिल्हैटी,
तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–नाथूराम उर्फ नाथूसिंह पुत्र श्री ज्वालाप्रसाद
2–अलबेलसिंह पुत्र श्री ज्वालाप्रसाद
निवासीगण ग्राम बिल्हैटी,
तहसील व जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्रीमती जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदिका
श्री रणवीर सिंह, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका के द्वारा मौजा बिल्हटी के कृषि भूमि सर्वे नम्बर 1903 रकबा 0.040 हेक्टेयर का बटांकन करवाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 07/अ–3/11–12 दर्ज कर दिनांक 30–3–13 को आदेश पारित कर आवेदिका का बटांकन स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–3–16 को आदेश पारित कर अपील समय सीमा में मान्य की जाकर प्रकरण एल.सी.आर. मंगाये जाने हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को इस तथ्य की जानकारी थी कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–3–13 को आदेश पारित किया जा चुका है, उसके पश्चात् भी लगभग 21 माह की लम्बी अवधि के पश्चात् असत्य आधारों पर विलम्ब माफी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा दिन प्रतिदिन का हिसाब नहीं दिया गया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण स्वयं विचारण न्यायालय में उपस्थित होते रहे हैं, अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका पर नोट भी किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अनावेदकगण को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही थी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के बटांकन आदेश की सूचना नहीं दी गई

है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय सीमा में मान्य कर प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही किये जाने हेतु नियत किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण होना है जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। आवेदिका द्वारा प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बटांकन कार्यवाही में अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि वह प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार होकर हितबद्ध पक्षकार है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर